03.01.25 आज यह पत्रावली पेश हुई बमुलाहिजा पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया। इस प्रकरण से सम्बन्धित उनवान शान्ति देवी बनाम मुरारीलाल प्रार्थनापत्र धारा 212 RTA प्रकरण नं. 165/24 न्यायालय हाजा में विचाराधीन चल रही है जिसके समान पक्षकारान एवं समान आराजी होने के कारण इस प्रकरण को इस प्रकरण में संयोजित किया जाता है तथा हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर मनन किया गया व पत्रावली बगौर अध्ययन किया गया तो पाया कि भूमि का बाजाब्ता मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है सहखातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा माना जाना वाजिब है ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े व कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो उसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर उभय पक्ष को प्रकरण में विवादित आराजीयात पर ता फैसला दखल रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने बाबत संशोधित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है दिनांक 22.10.24 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला मूल वाद पुष्ट की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा संलग्न मूल वाद हो।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]